



केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
Central Sericultural Research & Training Institute
केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
CENTRAL SILK BOARD, Ministry of Textiles, Govt. of India
बहरमपुर/Berhampore – 742101, मुर्शिदाबाद जिला/Murshidabad Dist.
पश्चिम बंगाल/ West Bengal, भारत/India



दिनांक 17 नवम्बर, 2022 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 133वीं बैठक की कार्यवृत्त। Minutes of the 133rd meeting of the Official Language Implementation Committee held on 17.11.2022.

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर [प.ब.] की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 133वीं बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2022 को संस्थान के निदेशक महोदय, डॉ. किशोर कुमार, सी. एम. की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11.00 बजे संस्थान के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुलग्नक - “क” में संलग्न है।

The 133rd meeting of the Official Language Implementation Committee of Central Sericultural Research and Training Institute, Berhampore [W.B.] was held on 17.11.2022 under the chairmanship of the Dr. Kishor Kumar, C. M., Director of this Institute at 11.00 a.m. in the meeting room of the Institute. The list of the members present in the meeting is appended at Annexure-A.

प्रारंभ में अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। साथ ही, उन्होंने संस्थान को पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्राप्त तृतीय पुरस्कार हेतु सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट किए। इस दौरान उनके द्वारा सभी अधिकारियों व पदधारियों से राजभाषा नियमों के सम्यक अनुपालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। तत्पश्चात, अध्यक्ष की अनुमति से संस्थान के वरिष्ठ अनुवादक [हिंदी] द्वारा बैठक की कार्यसूची पर मदवार चर्चा प्रारंभ की गई जो निम्नवत है / At the outset, the Chairman extended warm welcome to all the members present in the meeting. He also extended heartfelt greetings and thanks to all and because of their collective efforts the institute has received the “**Regional Rajbhasha Award**” 3rd Prize under above 50 staff category for E & NE Region. During the course of discussion he made an appeal to all the officers & officials to pay a special attention upon fully compliance of the official language rules. Thereafter, item-wise agenda was taken up for discussion by the Junior Translator (Hindi) of this Institute which is as given below:

मद सं/Item No.1: संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 132वीं बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि / Confirmation of minutes of the 132nd meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute.

समिति को यह संसूचित किया गया कि संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 132वीं बैठक की कार्यवृत्त तैयार कर सभी सदस्यों के बीच परिचालित कराए गए। परंतु किसी भी सदस्य से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। इस दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को सहर्ष आमंत्रित किया गया कि वे पिछली बैठक पर अपनी टिप्पणी व सुझाव, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यवृत्त को पुष्ट माना गया। It was apprised to the committee that copies of minutes of the 132nd meeting of the Official Language Implementation Committee of this Institute were circulated among the members but no comments were received. The Chairman, during the course of discussion gladly invited all the members to offer their comments / suggestions, if any, on the minutes of the last meeting. Since, no comments were received from anyone of the members, minutes was treated as confirmed.

मद सं/Item No.2: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई। Action taken on the decisions made during the last meeting.

संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ द्विभाषी में किए जाने पर चर्चा के दौरान यह पाया गया कि संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पंजियों में प्रविष्टियाँ तदनुसार की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, फार्म, प्रपत्र आदि भी द्विभाषी में तैयार कराकर नियम-11 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही, धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में जारी करते हुए हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी हिंदी में दिए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रभागीय प्रमुखों तथा अनुभागीय प्रधानों व प्रभारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अपने-अपने अनुभागों में राजभाषा प्रावधानों एवं केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त तत्संबंधी आदेशों व निदेशों का पूर्णरूपेण कार्यान्वयन आगे भी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाए तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग में कोई भी उल्लंघन न होने पाए।

During the course of discussion upon making entries in all service books either in Hindi or in bilingual form, It was observed that necessary entries are being made in Hindi or bilingual form in the service books available at this institute. Further, full compliance of the Official Language Rule-11 has been ensured by preparing all standard forms, Proforma etc. in bilingual form. In addition to this, letters received in Hindi are also replied in Hindi only. The Chairman, during the course of discussion made an instruction to all the Divisional Heads/In-charges of the section of this Institute to make every possible effort for due compliance of the provisions of Official Language Hindi following the orders/instructions received from Central office, Central Silk Board, Bangalore, Department of Official Language, Ministry of Home affairs. He also added that special attention may be made on the fact that there should not be any violation in progressive use of Official Language Policy.

चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्णय अनुपालनार्थ लिए गए / During the course of discussion following decisions were taken by the chairman for compliance:

1. धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित सभी कागजातों को द्विभाषी में अनिवार्य रूप से जारी किया जाए तथा एक परिपत्र एक से अधिक कार्यालयों को भेजने की स्थिति में भी परिपत्र को एक ही गिना जाए। Documents specified under section 3(3) must be issued in Bilingual form only and one circular circulated to many, be treated as one circular.
[कार्रवाई: सभी अनुभाग/केन्द्र]
2. यह भी निर्णय लिया गया कि संस्थान में उपलब्ध सभी प्रपत्र वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। It was also decided that all the forms available in the institute should also be uploaded on the institute website.
[कार्रवाई: कंप्यूटर अनुभाग]
3. संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों के दौरे पर जा रहे वैज्ञानिकों/अधिकारियों व हिंदी अनुभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रगामी कार्यान्वयन/अनुपालन संबंधी प्रगति की समीक्षा विहित प्रपत्र में अवश्य की जाए। / Scientists/Officers and Hindi Section, visiting the sub-units under on tours must review the progressive use of Official Language Hindi of the concerned unit(s) and submit the report in the prescribed format.
[कार्रवाई: हिंदी अनुभाग व संबंधित वैज्ञानिक/अधिकारी]
4. तकनीकी आलेख, पुस्तिका, निवारणका आदि हिंदी/द्विभाषी में प्रकाशित करने का हर संभव प्रयास किया जाए। Each & every possible efforts should be made to publish all the Technical reports, Pamphlets & Brochure etc in Hindi or in bilingual form.
[कार्रवाई: सभी अनुभाग]

5. यह भी निर्णय लिया गया कि आगे से संस्थान के हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट की अनुभागवार समीक्षा की जाए। It was also decided that comparative progress report regarding Hindi correspondence of implementation of this institute should be reviewed section-wise in future.

[कार्रवाई: हिंदी अनुभाग]

6. राजभाषा हिंदी के अनुप्रयोग व संबंधित विषयों पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक तिमाही के दौरान किया जाए ताकि राजभाषा प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित हो सके। A Hindi Workshop with regard to uses of Official Language Hindi or allied subjects must be organized for the officials during the each and every quarter to ensure due compliance of the provisions of Official Language.

[कार्रवाई: हिंदी अनुभाग]

7. संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों की हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा आगे भी प्रस्तुत किया जाए। Comparative progress report regarding Hindi correspondence made by the nested Units of this Institute should also be placed for the review in the ensuing meeting.

[कार्रवाई: हिंदी अनुभाग]

मद सं/Item No.3: संस्थान के संबद्ध केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा/Review of the quarterly progress report of this institute:

संस्थान के संबद्ध केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सभी केन्द्रों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा नियम-11 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी हिंदी में दिए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि अधीनस्थ केन्द्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा अनिवार्य तौर पर किया जाए ताकि सभी केन्द्रों में राजभाषा प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित हो सके। While reviewing quarterly report of the nested units of this institute, it was observed that due compliance of the section 3(3), Rule-11 of the Official Language Act has been ensured at all the sub-units. Further, letters received in Hindi are also being replied in Hindi only. The Chairman, during the course of discussion made an instruction that quarterly progress report of each and every nested unit should invariably be reviewed so that fully compliance of the provisions of Official Language may be ensured at all the nested units of the Institute.

[कार्रवाई: सभी अधीनस्थ केन्द्र/हिंदी अनुभाग]

मद सं/Item No.4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय:/Any other subject with the permission of the chairman.

संघ की राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम, 2022-2023 में निहित प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3), नियम-5 सहित संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण प्रश्नावली में उल्लेखित विविध मदों के पूर्णरूपेण कार्यान्वयन पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अनुभागीय प्रधानों/प्रभारियों को अपने-अपने अनुभागों में उक्त प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई। The Chairman, while making discussion upon fully implementation of the provisions contained in “Annual Programme, 2022-23” for transacting the official work of the union in Hindi, Section 3(3), Rule-5 along with various items mentioned in the questionnaire of Committee of Parliament on Official Language advised to all the sectional Heads/In-charges to take necessary steps to ensure

effective compliance of the said provisions in their sections.

[कार्रवाई: सभी संबंधित/हिंदी अनुभाग]

तत्पश्चात्, अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक के समापन की घोषणा की गई। / Thereafter, meeting concluded with a vote of thanks to the chair.

[डॉ. किशोर कुमार, सी. एम.

Dr. Kishor Kumar, C. M.]

निदेशक / Director

अनुलग्नक “क”/ Annexure-A

दिनांक 17 नवम्बर, 2022 को आयोजित संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 133 वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची/ List of members present in the 133rd meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute held on 17.11.2022.

क्र.सं Sl.No.	नाम/Name	पदनाम/Designation	
1.	डॉ. किशोर कुमार, सी. एम. / Dr. Kishor Kumar, C. M	निदेशक / Director	अध्यक्ष/Chairman
2.	डॉ. जी. श्रीनिवास / Dr. G. Srinivasa	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
3.	डॉ. ए. आर. प्रदीप / Dr. A. R. pradeep	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
4.	डॉ. डी. पंडित / Dr. D. Pandit	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
5.	डॉ. शतदल चक्रवर्ती / Dr. Satadal Chakarborty	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
6.	श्री प्राणेश कुमार प्रसाद / Shri P. K. Prasad	उपनिदेशक [कंप्यू.] / DD [Comp.]	सदस्य/Member
7.	डॉ. यल्लपा हरिजन / Dr. Y. Harijan	वैज्ञानिक- सी/ Sc.-C	सदस्य/Member
8.	डॉ. थंगजम रंजिता देवी / Dr. T. R. Devi	वैज्ञानिक- सी/ Sc.-C	सदस्य/Member
9.	श्री सोहन लाल साहू/ Shri S. L. Sahu	अधीक्षक [प्रशा.] / Sup. [Admn.]	सदस्य/Member
10.	श्री चंदन कुमार साव / Shri Chandan Kumar Shaw	वरिष्ठ अनुवादक [हिंदी] / Sr. Tr. [Hindi]	संयोजक / Convenor
11.	श्री भाष्कर गुप्ता / Shri Bhaskar Gupta	आशुलिपिक ग्रेड- I / Steno Grade-I	सदस्य/Member
12.	श्री शिबोतोष मुस्तफी / Shri S. Mustafi	व.त.स. / S.T.A.	सदस्य/Member
13.	श्री नारायण सरकार / Shri N Sarkar	व.त.स. / S.T.A.	सदस्य/Member
14.	श्री एम. एस. राव / Shri M . S. Rao	उ.श्रे.लि. / U. D. C	सदस्य/Member